लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 643
उत्तर देने की तारीखः 25.06.2019

वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा

643. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अपने ही बच्चों द्वारा माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वृद्ध माता-पिता का संरक्षण करने के लिए विधेयक पुरः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त विधेयक को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) तथा (ख): इस मंत्रालय में ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि उनके पास वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोत्तम महत्व देती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती है कि वे इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर ध्यान केंद्रित करें।

(ग) से (ङ): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधिकरणों के माध्यम से बच्चों/नातेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण बाध्यकारी और वादयोग्य बनाने, नातेदारों द्वारा अवहेलना करने के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के अंतरण का प्रतिसंहरण करने, वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग करने के लिए दंड का प्रावधान करने, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 जम्मू व कश्मीर, जहां यह अधिनियम लागू नहीं है, और हिमाचल प्रदेश, जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना स्वयं का अधिनियम बनाया है, को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित किया गया है।